

डिगरी व मुकदमें ईबदाई  
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)  
सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही  
बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 55/2018

वादीगण  
अभय कुमार पुत्र कालूरामजी जाति  
पुरोहित आयु व्यस्क निवासी आमलारी  
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1- सवाराम पुत्र खीमारामजी जाति पुरोहित  
आयु व्यस्क निवासी आमलारी तहसील  
सिरोही जिला सिरोही
- 2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार  
सिरोही



राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 188-53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित वादी वकील श्री पदमाराम चौहानल उपस्थित हुये । प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध पूर्व मे ही एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित होने से अनुपस्थित है। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही उपस्थित हुये । मूल पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार, सिरोही की बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वादीगण का यह वाद अर्न्तगत धारा 53-188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 तक का वास्ते विभाजन कृषि आराजी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, सिरोही ( भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता नंबर 53 जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता नंबर 55, जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता नंबर 56 जमाबंदी संवत 2073-2076 खाता नंबर 57 जमाबंदी संवत 2073-2076 खाता नंबर 52 के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर क्रमशः वादी के पिता की खातेदारी हक अधिकार कब्जे काशत की कृषि भूमि मौजा आमलारी पटवार हल्का आमलारी तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका बंदोवस्त के पूर्व खसरा नंबर 724 रकबा 05 बीघा 08 विस्वा, खसरा नंबर 720/2 रकबा 03 बीघा 17 विस्वा, खसरा नंबर 721 रकबा 03 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 723/4 रकबा 07 बीघा 08 विस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 20 बीघा 14 विस्वा है जो बंदोवस्त के पश्चात नया खसरा नंबर 1020 रकबा 0.6200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1022 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, गै.मू. चाह, खसरा नंबर 1023 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1025 रकबा 1.2000 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.4400 हैक्टेयर व अन्य खसरा नंबर 1026 रकबा 0.8800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1107 रकबा 0.5600 हैक्टेयर कृषि भूमि व वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे 1/8 वां हक हिस्सा की स्थित है। प्रतिवादी संख्या एक के 1/8 वां हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मेसे आई हुई है जो निम्न प्रकार खसरा नंबरान की है। पुराना खसरा संख्या 377/2-630-631-632-633-634-635-636-637/1-637/2-638-639-640-641-642-643-644-645-646-648/1-648/2-649-650-651-652-657/1-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-838/1-839-840-852/1 मीन नया खसरा जो निम्न पप्रकार खसरा नंबरान कुल किता 43 कुल रकबा 192 बीघा 02 विस्वा व बंदोवस्त के पश्चात नया खसरा नंबरान 918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-938-939-940-941-942-943-951-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-1251-1257-1265-1266 1267, कुल किता 43 कुल क्षेत्रफल 27.4500 हैक्टेयर मेसे 1/8 वां हक हिस्से बंटवाड मे आई हुई है एवं खसरा

## पेज नं. दो

नंबर 1546/546 रकबा 3.6400 हैक्टेयर कृषि भूमि मे वादी के पिता के नाम से पूर्व बंटवाड अनुसार संयुक्त हिस्से मे 1/8 वां हिस्सा आया हुआ है। वर्णित खसरा नंबरान की भूमि को वादी के पितामे अपने दोनो पुत्रों को कृषि भूमि का बंटवाड कर दी गई थी अपने पिता के जीवनकाल मे आज दिन तक लगातार बंटवाड अनुसार काबिज काश्त है। उपरोक्तानुसार वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन पूर्व मौखिक बंटवाड ईकरारनामा अनुसार व मौके पर काबिज काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान के हक हिस्से अनुसार बाय मिटस एण्ड बाउण्ड के आधर पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार कर एक माह मे इस न्यायालय मे भिजवाने की व्यवस्था करें। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना भुगते।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 2-7-2019 मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

मुद्दाई  
स्टॉम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
मुतफरीक  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मौजान

रु      पैसे

रु      पैसे  
25000

मुद्दायलाह  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
महन्ताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत ईजराय हुक्मनामा  
मुतफरीक  
मौजान

रु      पैसे

रु      पैसे  
25000

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)  
सिरोही (सिरोही.)

